

नपा
18/8/25



राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022

जयपुर, दिनांक : 14 अगस्त, 2025

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) में उल्लेखित राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव अगस्त, 2025 के लिये मतदान दिनांक 21.08.2025 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात् दिनांक 19.08.2025 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 21.08.2025 को सांय 05.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(अ. मिश्रा)

(वरुण मिश्रा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक प.4(2)(1) नपा/रानिआ/2025/257 दिनांक 01.08.2025 के संदर्भ में।
3. उपसचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उपसचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर (धौलपुर/झुन्झुनू/राजसमन्द/सीकर)।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त
10. जिला आबकारी अधिकारी संबंधित।
11. रक्षित पत्रावली।

3449

(अ. मिश्रा)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2025/2881

दिनांक:- 19/8/2025

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) धौलपुर, झुन्झुनू एवं राजसमन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अम्बा लाल मीणा)

उपसचिव